प्रेस नोट संख्या- 25

दिनांक 19.12.2025

सराहनीय कार्य अमेठी पुलिस

थाना गौरीगंज पुलिस द्वारा कूटरचित दस्तावेज तैयार कर जालसाजी करने वाली अभियुक्ता गिरफ्तार, अभियुक्ता के कब्जे से जालसाजी कर खरीदा गया समान बरामद ।

पुलिस अधीक्षक अमेठी श्रीमती अपर्णा रजत कौशिक के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक अमेठी श्री ज्ञानेद्र कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में जनपद अमेठी में अपराध एवं अपराधियों के धर पकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 19.12.2025 को क्षेत्राधिकारी गौरीगंज श्री अखिलेश वर्मा के कुशल नेतृत्व में थाना गौरीगंज पुलिस द्वारा वांछित अभियुक्तों की तलाश व देखभाल क्षेत्र के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 385/25 धारा 316(2), 318(4) बीएनएस थाना गौरीगंज से संबंधित अभियुक्ता शशि श्रीवास्तव पत्नी राजीव श्रीवास्तव निवासिनी एलईए/8, दूरवाणी नगर, नैनी जनपद इलाहाबाद उम्र करीब 31 वर्ष को सैठा रोड पुलिया नवोदय विद्यालय के पास से गिरफ्तार किया गया । अभियुक्ता के कब्जे से 01 भूरा बैग बरामद हुआ जिसको खोलकर देखने पर बैग में 01 जोड़ी झुमकी पीली धातु, 02 जोड़ी सुई धागा पीली धातु, 03 अंगूठी पीली धातु, 01 अदद लाकेट पीली धातु, 01 अदद मंगल सूत्र पीली धातु मटर माला में, 02 जोड़ी पायल सफेद धातु, 01 गदा सफेद धातु, 01 अदद कड़ा सफेद धातु, 01 अदद भुगतान रशीद लुमीनश कम्पनी, 02 अदद आधार कार्ड (01 मूल आधार कार्ड एवं 01 आधार कार्ड छायाप्रति), 02 अदद विक्रय अभिलेख छाया प्रति, 02 अदद मोबाइल फोन (01 अदद सैमसंग व 01 अदद वीवो) व पास में रखा हुआ 01 अदद लुमिनश बैट्री व 01 अदद लुमिनश इन्वर्टर बरामद हुआ । अभियुक्ता के पास से बरामद आधार कार्ड पर अलग-अलग पता अंकित होने एवं अन्य दस्तावेजों की जांच एवं पूछताछ करने पर अभियुक्ता ने बताया कि उसने यह अभिलेख कूटरचित तैयार कर वह अपने आप को धनवान महिला बताकर अमेठी जनपद के गौरीगंज में सर्राफा व्यवसायियों से जेबर उधार लेकर उन्हें धोखा देकर चली गयी थी वह अपने किराए के मकान में रखा इन्वर्टर बैटरी लेने आयी थी। जिसे उसने गौरीगंज बाजार से ही छल पूर्वक खरीदा था । बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) , 336(3), 338, 340(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गयी है । गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना गौरीगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्ता का नाम व पता–

1. शशि श्रीवास्तव पत्नी राजीव श्रीवास्तव निवासिनी एलईए/8, दूरवाणी नगर, नैनी जनपद इलाहाबाद उम्र करीब 31 वर्ष ।

पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

- मु0अ0सं0 385/25 धारा 316(2), 318(4), 336(3), 338, 340(2), 317(2) बीएनएस थाना गौरीगंज जनपद अमेठी ।

बरामदगी-

1. 01 जोड़ी झुमकी पीली धातु ।
2. 02 जोड़ी सुई धागा पीली धातु ।
3. 03 अंगूठी पीली धातु।
4. 01 अदद लाकेट पीली धातु।
5. 01 अदद मंगल सूत्र पीली धातु मटर माला में।
6. 02 जोड़ी पायल सफेद धातु।
7. 01 गदा सफेद धातु।
8. 01 अदद कड़ा सफेद धातु।
9. 01 अदद भुगतान रशीद लुमीनश कम्पनी।
10. 02 अदद आधार कार्ड (01 मूल आधार कार्ड एवं 01 आधार कार्ड छायाप्रति)।
11. 02 अदद विक्रय अभिलेख छाया प्रति।
12. 02 अदद मोबाइल फोन (01 अदद सैमसंग कम्पनी रंग स्लेटी व 01 अदद वीवो कम्पनी रंग नीला) ।
13. 01 अदद लुमिनश बैट्री व 01 अदद लुमिनश इन्वर्टर ।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ0नि0 रामकरन सिंह थाना गौरीगंज जनपद अमेठी ।
2. आरक्षी अमित प्रताप सिंह थाना गौरीगंज जनपद अमेठी ।
3. आरक्षी दीपचन्द यादव थाना गौरीगंज जनपद अमेठी ।
4. म०आ० सुजाता मौर्या थाना गौरीगंज जनपद अमेठी ।